

लोक सभा सदस्य/ केंद्रीय राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा

प्रपत्र १

A: सदस्य की परिसंपत्ति और देयता सम्बन्धी जानकारी:

1. सदस्य का नाम -	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
2. पिता का नाम -	स्व सुमेर वर्मा
3. स्थायी पता -	मालवीय नगर, कोंच, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश
4. दिल्ली का पता -	एबी 18, मथुरा रोड, नई दिल्ली
5. दल संबंधिता -	भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
6. निर्वाचन की तिथि -	23 मई 2019
7. सदन में शपथ की तिथि -	18 जून 2019

I अचल संपत्ति का व्यौरा -

1. राज्य, जिला, उपसंभाग और गाँव का नाम जिसमें संपत्ति है-
- a) मालवीय नगर, कोंच, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश
 - b) बड़गांव, उरई, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश
 - c) बघौरा, उरई, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश
 - d) बेतबा विहार, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी, उत्तर प्रदेश

2. संपत्ति का व्यौरा-

- (क) मकान और भवन और उनका मकान नंबर 413, मालवीय नगर, कोंच जिला जालौन, उत्तर प्रदेश (वर्तमान मूल्य 5000000/-)
- (ख) भूमि और उसका वर्तमान मूल्य a) गाटा सं. 320 रकवा 1.3070 हें 0 बड़गांव, उरई, जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश

(वर्तमान मूल्य- 1500000/-)

b) गोदाम, बघौरा, उरई,

जिला- जालौन उत्तर प्रदेश

(वर्तमान मूल्य- 6000000/-)

c) आवासीय प्लाट, बेतबा विहार,

झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी उत्तर प्रदेश

(वर्तमान मूल्य- 5500000/-)

3. स्वामित्व के रूप में धारित है अथवा
लाभार्थी के रूप में -

4. संयुक्त रूप में धारित है अथवा पृथक
रूप में। (यदि संपत्ति किसी और के साथ
संयुक्त रूप में धारित है तो सदस्य का हिस्सा)

स्वामित्व के रूप में

a) मकान नंबर 413, मालवीय नगर, कोंच
जिला जालौन उत्तर प्रदेश
(संयुक्त, 1/2 भाग)

b) गाटा सं. 320 रकवा 1.3070 हें
बड़ागांव, उरई जिला- जालौन उत्तर प्रदेश
(संयुक्त, 1/2 भाग)
c) गोदाम, बघौरा, उरई जिला- जालौन
उत्तर प्रदेश (संयुक्त, 1/2 भाग)
d) आवासीय प्लाट, बेतबा विहार, झाँसी विकास
प्राधिकरण, झाँसी उत्तर प्रदेश (पृथक रूप में)

5. यदि सदस्य का नाम धारित नहीं है तो
किसके नाम धारित है और सदस्य के साथ
उसका क्या संबंध है-

6. कैसे प्राप्त की
(क्रय, पट्टा, गिरवी, विरासत, भेंट या अन्य

लागू नहीं

a) मकान नंबर 413, मालवीय नगर, कोंच
जिला -जालौन, उत्तर प्रदेश (पैतृक)

प्रकार से प्राप्त की गई, साथ ही इसकी प्राप्ति
की तिथि एवं व्यक्ति का नाम जिससे प्राप्त
की गई)

- b) गाटा सं. 320 रकवा 1.3070 हें 0 बड़ागांव,
उरई जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश (पैतृक)
- c) गोदाम, बघौरा, उरई जिला-
जालौन उत्तर प्रदेश
(क्रय, वर्ष 2010, श्री सर्वेश महेश्वरी, उरई से)
- d) आवासीय प्लाट, बेतबा विहार, झाँसी विकास
प्राधिकरण, झाँसी, उत्तर प्रदेश
(क्रय वर्ष 2021)

7. कोई अन्य संगत जानकारी, जो सदस्य देना चाहे

लागू नहीं

II चल संपत्ति का ब्लौरा -

1. (सम्पत्ति का विवरणअर्थात् कार/मोटर साइकिल/
आभूषण/बैंकों/शेयर बाजार/कम्पनियों/वित्तीय
संस्थाओं/बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)

- a) भारतीय स्टेट बैंक, संसद भवन शाखा
खाता संख्या- 10023831491
(जमा धनराशि -2627657/-)
- b) यूनियन बैंक, उरई
खाता संख्या 62760201004529
(जमा धनराशि -10295/-)
- c) सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, कोंच
खाता संख्या- 2065216091
(जमा धनराशि -19809/-)
- d) इलाहाबाद बैंक, उरई
खाता संख्या- 50482909247
(जमा धनराशि -2000/-)
- e) भारतीय स्टेट बैंक पॉलिसी
कुल धनराशि 1023200/-

- f) RD, इंडियन पोस्ट (2 units)
g) सोने के आभूषण (250 ग्राम)
(वर्तमान मूल्य- 1200000/-)
h) चांदी के आभूषण (1 किलो)
(वर्तमान मूल्य- 640000/-)
i) रिवॉल्वर (वर्तमान मूल्य- 150000/-)
2. जहां आवश्यक हो विनिर्माता, माडल;
वाहनों के मामले में पंजीकरण संख्या भी)
3. कैसे प्राप्त की ;(क्रय/भेंट/गिरवी, पट्टा या
अन्य किसी प्रकार से)
4. सम्पत्ति का क्रय मूल्य
a) गोदाम, बघौरा, उरई
जिला- जालौन उत्तर प्रदेश
(क्रय, मूल्य -350000/-)
- b) आवासीय प्लाट, बेतबा विहार, झाँसी विकास
प्राधिकरण, झाँसी उत्तर प्रदेश
(क्रय मूल्य- 2000000/-)
- c) सोने के आभूषण (250 ग्राम)
(क्रय मूल्य -150000/-)
- d) चांदी के आभूषण (1 किलो)
(क्रय मूल्य-50000/-)
- d) रिवॉल्वर(क्रय मूल्य -10000/-)
5. क्रय के मामले में वित्त पोषण का स्रोत
(क) निजी बचत
(ख) अन्य स्रोत
- हाँ
वेतन, पेंशन और कृषि से प्राप्त आय द्वारा

6. कोई अन्य संगत जानकारी, जो सदस्य देना चाहे लागू नहीं।

III. वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/राज्य सरकार के प्रति देयताओं का ब्यौरा

- | | |
|---|---|
| 1. बैंकों/कम्पनियों/वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/राज्य सरकारों से लिए गए ऋण का ब्यौरा | झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी आवासीय भूखंड की किश्तें। |
| 2. प्रत्येक मामले में लिए गए ऋण की राशि | 1022623/- |
| 3. प्रत्येक मामले में लिए ऋण की अवधि | लागू नहीं। |

B. सदस्य की पत्री की चल/अचल सम्पत्तियों और देयता सम्बन्धी जानकारी:

पत्री का नाम -	श्रीमती राममूर्ति वर्मा
पति का नाम -	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
स्थायी पता -	मालवीय नगर कोंच जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश
दिल्ली का पता -	एबी 18, मथुरा रोड, नई दिल्ली

I अचल संपत्ति का ब्यौरा -

1. राज्य, जिला, उपसंभाग और गाँव का नाम जिसमें संपत्ति है-
2. संपत्ति का ब्यौरा-

(क) मकान और भवन और उनका

वर्तमान मूल्य

(ख) भूमि और उसका वर्तमान मूल्य

a) मौजा चांदनी, कोंच जिला- जालौन उत्तर प्रदेश

लागू नहीं

a) गाटा सं. 8 रकवा 2.4030 हे0 चांदनी, कोंच जिला- जालौन, उत्तर प्रदेश

	(वर्तमान मूल्य- 5000000/-)
3. स्वामित्व के रूप में धारित है अथवा लाभार्थी के रूप में -	स्वामित्व के रूप में
4. संयुक्त रूप में धारित है अथवा पृथक रूप में। (यदि संपत्ति किसी और के साथ संयुक्त रूप में धारित है तो सदस्य का हिस्सा)	a) पृथक रूप से
5. यदि पत्री के नाम धारित नहीं है तो किसके नाम धारित है और पत्री के साथ उसका क्या संबंध है-	लागू नहीं
6. कैसे प्राप्त की (क्रय, पट्टा, गिरवी, विरासत, भेंट या अन्य प्रकार से प्राप्त की गई, साथ ही इसकी प्राप्ति की तिथि एवं व्यक्ति का नाम जिससे प्राप्त की गई)	a) क्रय, 28/07/2007
7. कोई अन्य संगत जानकारी, जो सदस्य देना चाहे	लागू नहीं

II चल संपत्ति का व्यौरा -

- (सम्पत्ति का विवरणअर्थात् कार/मोटर साइकिल/
आभूषण/बैंकों/शीयर बाजार/कम्पनियों/वित्तीय
संस्थाओं/बीमा पॉलिसी आदि में निवेश)
 - a) सोने के आभूषण (400 ग्राम)
वर्तमान मूल्य - 1920000/-
 - b) चांदी के आभूषण (1 किलो)
वर्तमान मूल्य - 64000/-
 - c) आर्यावर्त बैंक- शाखा-कोंच,(जालौन)
(किसान क्रेडिट कार्ड खाते में)
खाता नं-293310110000294
राशि-150000/- रूपये

2. सरकारों से लिए गए ऋण का ब्यौरा	लागू नहीं
3. जहां आवश्यक हो विनिर्माता, माडल; वाहनों के मामले में पंजीकरण संख्या भी)	
4. कैसे प्राप्त की ;(क्रय/भेट/गिरवी, पट्टा या अन्य किसी प्रकार से)	क्रय।
5. सम्पत्ति का क्रय मूल्य	a) सोने के आभूषण (400ग्राम) (क्रय मूल्य 200000/-) b) चांदी के आभूषण (1 किलो) (क्रय मूल्य -40000/-)
6. कोई अन्य संगत जानकारी, जो सदस्य देना चाहे	लागू नहीं।

III वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/राज्य सरकार के प्रति देयताओं का ब्यौरा

1. बैंकों/कम्पनियों/वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/राज्य सरकारों से लिए गए ऋण का ब्यौरा	आर्यवर्त बैंक, कोंच(किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण)
2. प्रत्येक मामले में लिए गए ऋण की राशि	12265/-
3. प्रत्येक मामले में लिए ऋण की अवधि	लागू नहीं

C. सदस्य के आश्रित की चल/अचल सम्पत्तियों और देयता सम्बन्धी जानकारी:

1. आश्रित का नाम -	लागू नहीं
2. पति का नाम -	लागू नहीं

3. स्थायी पता - लागू नहीं
4. दिल्ली का पता - लागू नहीं

I अचल संपत्ति का व्यौरा -

1. राज्य, जिला, उपसंभाग और गाँव का नाम जिसमें संपत्ति है- लागू नहीं
2. संपत्ति का व्यौरा-
 (क) मकान और भवन और उनका वर्तमान मूल्य लागू नहीं
- (ख) भूमि और उसका वर्तमान मूल्य लागू नहीं
3. स्वामित्व के रूप में धारित है अथवा लाभार्थी के रूप में - लागू नहीं
4. संयुक्त रूप में धारित है अथवा पृथक रूप में। (यदि संपत्ति किसी और के साथ संयुक्त रूप में धारित है तो सदस्य का हिस्सा)
लागू नहीं
5. यदि आश्रित के नाम धारित नहीं है तो किसके नाम धारित है और पत्नी के साथ उसका क्या संबंध है- लागू नहीं
6. कैसे प्राप्त की लागू नहीं
 (क्रय, पट्टा, गिरवी, विरासत, भेंट या अन्य प्रकार से प्राप्त की गई, साथ ही इसकी प्राप्ति की तिथि एवं व्यक्ति का नाम जिससे प्राप्त की गई)
7. कोई अन्य संगत जानकारी, जो सदस्य देना चाहे लागू नहीं

II चल संपत्ति का ब्यौरा -

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. (सम्पत्ति का विवरण अर्थात् कार/मोटर साइकिल/
आभूषण/बैंकों/शेयर बाजार/कम्पनियों/वित्तीय
संस्थाओं/बीमा पॉलिसी आदि में निवेश) | लागू नहीं
लागू नहीं
लागू नहीं |
| 2. जहां आवश्यक हो विनिर्माता, माडल;
वाहनों के मामले में पंजीकरण संख्या भी) | |
| 3. कैसे प्राप्त की ;(क्रय/भेंट/गिरवी, पट्टा या
अन्य किसी प्रकार से) | लागू नहीं |
| 4. सम्पत्ति का क्रय मूल्य
कोई अन्य संगत जानकारी, जो सदस्य देना चाहे | लागू नहीं
लागू नहीं
लागू नहीं। |

III वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/राज्य सरकार के प्रति देयताओं का ब्यौरा

- | | |
|--|-----------|
| 1. बैंकों/कम्पनियों/वित्तीय संस्थाओं/केन्द्र/राज्य
सरकारों से लिए गए ऋण का ब्यौरा | लागू नहीं |
| 2. प्रत्येक मामले में लिए गए ऋण की राशि | लागू नहीं |
| 3. प्रत्येक मामले में लिए ऋण की अवधि | लागू नहीं |

घोषणा

मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि उपर्युक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उपर्युक्त जानकारी में किसी परिवर्तन की स्थिति में मैं नियमानुसार अध्यक्ष महोदय को सूचित करने का वचन देता हूं।

भवदीय,

दिनांक :

(भानु प्रताप सिंह वर्मा)